बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)–06 / 2021 7023 पटना, दिनांक :– 15/09/2023

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), लखीसराय के पत्रांक 428 दिनांक 09.06.2023 द्वारा श्री सतीश चन्द्र नाग, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04355) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि शिविर प्रभारी द्वारा इनके कार्यो में लापरवाही का प्रतिवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 306 दिनांक 21.04.2023 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने एवं कार्यो के प्रति लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5033 दिनांक 16.06.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपन स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में यह तथ्य दिया गया है कि यह अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते हैं तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन करते हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि ये अनुसूचित जाति से आते है, जिसके कारण कानूनगो एव शिविर प्रभारी द्वारा इन्हें पेरशान करते हुए सदैव जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर अपमानित किया जाता है एवं इनके पिता जी को भी टारगेट किया जाता है। इसके साथ ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार एवं गलत बताया है।

प्राप्त अनुशंसा एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण के साथ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है जो इनके द्वारा स्पष्टीकरण में दिए गए तर्क की पुष्टि करता हो। साथ ही यदि शिविर प्रभारी एवं कानूनगो द्वारा इन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर परेशान किया जा रहा था तो इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया जाना चाहिए था, परन्तु इनके द्वारा एतद् संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा स्पष्टीकरण में मनगढ़त तर्क देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है ताकि लगाए आरोप से यह बच सकें। इसके साथ ही दिनांक 17.08.2023 को निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा जिला लखीसराय के शिविर–रामगढ़ चौक का निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि आरोपित द्वारा कार्यो में लापरवाही, शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों द्वारा भी कार्यहित में इनकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, ऐसे कर्मियों के संविदा में रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। साथ ही ऐसे कर्मियों के कृत्य का कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री सतिश चन्द्र नाग, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04355) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

14/9/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कु0 पृ0 30

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)–06/2021 2023 **पटना, दिनांक** :– 15/09/2023

प्रतिलिपि :– श्री सतिश चन्द्र नाग, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04355), बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 15/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)–06/2021 2023 **पटना, दिनांक** :– 15/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(लखीसराय)–06/2021 2023 **पटना, दिनांक** :– 15/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप